P: ISSN NO.: 2321-290X

RNI: UPBIL/2013/55327

VOL-8* ISSUE-1* September- 2020

E: ISSN NO.: 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Editorial Board for the Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika, September-2020 Executive Board

FONDER PATRON	EDITOR-IN -CHIEF	MANAGING EDITOR
Late. Dr. M.D. Pathak Chairman, Centre for Research & Development of Waste & Marginal Land Ex. Director General, U.P. Council of Agriculture Research, U.P. Ex. Director, Research and Training, International Rice Research Institute, Manila, Philipines	Dr. Asha Tripathi Senior Vice-President, Social Research Foundation, Kanpur asha23346@gmail.com	Dr. Rajeev Mishra Secretary, S R F, Kanpur indra.rajeev@gmail.com shrinkhala2014@gmail.com 128/170 H' Block, Kidwai Nagar, Kanpur

EDITORIAL-ADVISORY BOARD

Political Science and International Relation	Sociology and Social Anthropology	Library & Information Science
Prof. Vandana Asthana Eastern Washington University, Cheney, WA	Dr. K. Bharathi Arba Minch University, Arba Minch, Ethiopia, North Africa,	Dr. U. C. Shukla Fiji National University, Lautoka, Fiji

English & Communic		
Dr. Teena Gautam Lecturer, International College of Law Business Administration and Technology, Ajman, UAE	Roohi Andalib Huda Assistant Professor, BRAC University, Dhaka, Bangladesh	Monika Sethi Assistant Professor, Govt. Ranbir College, Sangrur, Punjab, India

Education			
Dr. Manoj Kumar Joshi Assistant Professor, L.B. S. Govt. Degree College, Halduchaor, Uttarakhand, India	Brij Sunder Gautam Associate Professor University of Rajasthan, Kota, Rajasthan,	Dr. Gayatri Jay Mishra Associate Professor Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Rajasthan, India	
Dr. Sanjay Khandelwal Assistant Professor, L.B. S. Govt. Degree College, Halduchaor, Ottarakhand, India			

Accountancy	Commerce	
Dr. Dinkar Jha	Dr. D. R. Yadav	Dr. Sushil Kumar Pattanaik
Notre Dame Academy,	Retd. Professor,	Reader
Jamalpur, Munger, Bihar, India	Meerut College,	Prananath Autonomous College,
	Meerut, India	Khordha,Odisha, India

Sociology		Geography	
Dr Dinesh Vyas	Dr. Suresh Kumar	Dr. Sunil Kumar Prasad	
Assistant Professor	Assistant Professor	Assistant Professor,	
Mahatma Gandhi Central University,	Digambar Jain College, Baraut	Bapu P.G. College,	
Varanasi, India	Baghpat,U.P., India	Pipiganj, Gorakhpur, U.P., India	

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Contents (Hindi)

निर्देशका के बीर में शिक्तार एक किकार Western in the of Globalisation An Analysis Western to the firm of an are frames accompany our कारी कारी कृषि विकास एवं आवेशिक निर्देशक करवाद केल्ड कर एक बीसोशिक विक्रोमण	शःक्रमेति तिश्रान सूर्यात	Property 14-01	To 14-04
स्थानिक क्षेत्र			14-04
A Selban Fire Strate William	बुरतिक	14 /100	
integrated Agricultural Development कर स्वयुक्ता planning - A Geographical Analysis of District Mescut शर्मांप सिंह, बडीत, बारायत, उठक, बारत			14-09
मई अमारोद्दीय अर्थावायस्था व उत्तर-दक्षिण संयाद New International Economic Order and Mores South Dialogue शुलोत्तमा शीकर, राजस्थान, भारत	राजनीति विकास	H-10	14-18
भवीन अन्तर्रोष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं विश्व बैंक New International Economic Order and World bank जशोक कुमार महला, सीकर, राजस्थान, भारत	शजनीति विश्वान	H-19	H-24
सरकारी व निजी विद्यालयों के किशोर विद्यार्थियों पर योग किशा के प्रमाव का अध्ययन Study of The Impact of Yoga Education on Adolescent Students of Government and Private Schools सुषमा सिंह एवं प्राची दीक्षित, कोटा, राजस्थान, भारत	किंबा शास्त्र	H-25	14-29
अनुसूचित जाति की प्रजननता को प्रमावित करने वाले कारक : गोरखपुर जनपद का प्रतीक अध्ययन Factors Affecting The Fertility of Scheduled Castes: A Representative Study of Gorakhpur District दुर्गावती यादव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत	कृतिव	H-30	H-38
7. प्राचीन भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं का विकास Development of Local Government Institutions in Ancient India सरोज हारित, चूरु, राजस्थान, भारत	राजनीति विश्वान	H-39	H-42
8. गांधी की पत्रकारिता एवं मानवाधिकार Gandhi's Journalism and Human Rights अमित राय, मोदीपुरम, मेरठ, भारत	विधि	H-43	H-47

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

6 ISSN NO.: 2349-980X प्राचीन भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं का विकास Development of Local Government Institutions in **Ancient India**

paper Submission: 19/09/2020, Date of Acceptance: 26/09/2020, Date of Publication: 27/09/2020

सारांश

सन् 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर यह आशा की गई कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा तथा स्थानीय संस्थान के विकास को नवीन दिषा व गति मिलेगी। गांधीजी गांव को शासन की मूल इकाई बनाना चाहते थे तथा वे पंचायती राज के लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण हेतु अनिवार्य मानते थे। गांधी जी की मान्यता थी कि यदि हम चाहते है कि गांवों को न केवल जीवित रहना चाहिए अपितु उनको बलवान तथा समृद्ध बनना चाहिए। तो हमारे दृष्टिकोण में गांव की प्रधानता होनी चाहिए। उनकी धारणा थी कि सच्ची लोकशाही केन्द्र में बैठे हर दस-बीस व्यक्ति नहीं चला सकते। यह तो नीचे से गांव के हर व्यक्ति द्वारा चलायी जानी चाहिए। यद्यपि स्थानीय शासन व्यवस्था प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है किन्तु लोकतंत्र में तो यह अपरिहार्य होती हैं। लोकतंत्र को विकेन्द्रीकृत करने का माध्यम स्थानीय शासन संस्थाएं ही है। स्थानीय शासन लोगों को यह अवसर प्रदान करता है कि वे स्थानीय मामलों का प्रबंध स्वयं अपनी सक्रिय भागीदारी करे।

After India became independent in 1947, it was hoped that democracy would be decentralized to strengthen democracy and the development of local institution would get new direction and momentum. Gandhiji wanted the village to be the basic unit of governance and he considered it mandatory for the decentralization of democracy of Panchayati Raj. Gandhiji believed that if we want the villages to not only but also become strong and prosperous. So in our view, the village should have primacy. His belief was that the Lokshahi center can not run only by the meeting of only ten-twenty people. It should be run by everyone from the village. Although local governance is present in every form of governance in some form, but in a democracy it is unavoidable. Local governance institutions are the medium to decentralize democracy. Local governance provides an opportunity to the people to take up their own active participation in the management of local affairs.

स्थानीय स्वायत शासन, प्रतिनिधित्व, शानाधिकारी, उत्तरदायित्व, मनुरमृति गणराज्य, पंचायत, विकेन्द्रीकरण।

Autonomous Governance. Representation, Shanadhikari, Responsibility, Manusmriti Panchayat, Decentralization

प्रस्तावना

स्वायत्तशासी संस्थाएं लोकतंत्र का मूल आधार है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जाती है जबिक देश के निचले स्तरों तक लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रसार किया जाए एवं उन्हें स्थानीय विषयों का प्रशासन चलाने में स्वतंत्रता प्राप्त हो। वस्तुतः ये संस्थाएं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूमि हैं। स्थानीय संस्थाएं सरकार के दूसरे अंगों से बढ़कर जनता को लोकतंत्र की सुरक्षा देती है। साथ ही विकेन्द्रीकरण एवं शक्ति से भागीदारी के प्रति निष्ठा व्यक्त करती है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाते हैं। अच्छी शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षणों के अन्तर्गत व्यवस्था को अधिकाधिक क्षमतावान

बनाने हेतु जन आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जन समस्याओं का निराकरण, तीव्र आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधारों की निरन्तरता, वितरणात्मक न्याय एवं मानवीय संसाधनों का विकास आदि शामिल है। पंचायती राज

सरोज हारित मह आचार्य एवं विभागध्यक्ष. राजनीति विज्ञान विभाग. गज. लोहिया कॉलेज, चुरू, गजस्थान, भारत

F. ISSN NO.: 2321-290X



का मुख्य उद्देश्य सामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। इसके आतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि ग्रामीण ल्ह्योगों का विकास परिवार कल्याण कार्वक्रम पशु संस्थाण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था आदि का संवित प्रबन्ध करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करना भी पंचायती राज का मौलिक उदेश्य है।

साध्ययन के उद्देश्य

1. स्थानीय शासन का अर्थ और परिभाषा जानना।

2 प्राचीन भारत में स्थानीय शासन वाली संस्थाओं की जानकारी करना।

3. इन स्थानीय शासन संस्थाओं के अधिकार और शक्तियों को जानना।

स्थानीय शासन का अर्थ:

स्थानीय शासन का अर्थ भारतीय संविधान की सातवी अनुसूची की पांचवी प्रविष्टि में लिखा है 'स्थानीय शासन अर्थात नगरनिगमों, सुधार न्यासों, जिला परिषदीं, खनन बस्ती, प्राधिकरणों तथा स्थानीय स्वशासन अथवा ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन तथा शक्तियां।" इस प्रकार स्थानीय शासन से अभिप्राय ऐसी संस्थाओं के शासन से है जो स्थानीय स्तर की है और इन्हें स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि संचालित करते हैं। इस संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होती है किंतु यह अपने क्षेत्र में सम्प्रभु नहीं होती। राष्ट्रीय या राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हुए इन्हें स्थानीय मामलों के शासन के दायित्व का निर्वाह करना होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्थानीय शासन का अर्थ उस शासन से है जिसका सम्बन्ध किसी स्थान विशेष से हो एवं उस स्थान विशेष के निवासियों द्वारा ही उसका संचालन हो। दूसरे शब्दों में, स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबन्ध करें।

स्थानीय शासन की प्रमुख परिभाषाएं

जॉन. जे. क्लीक के अनुसार "स्थानीय शासन एक राष्ट्रीय या राज्य शासन का वह भाग है जो ऐसे विषयों पर प्रमुख रूप से विचार करता है जिसका सम्बन्ध एक विशेष जिले अथवा स्थान विशेष के लोगों से होता है। यह संस्थाएं प्रायः निर्वाचित होती है तथा केन्द्रीय शासन के अधीन रहकर कार्य करती है।" गिलक्राइस्ट का मत है कि "स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं होती हैं तथा इन्हें सीमित क्षेत्र में कार्य करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है।" जी. डी. एच. कौल ने माना है कि "स्थानीय शासन ऐसा शासन है जो सीमित क्षेत्र में प्राप्त अधिकारों का उपभोग करता है।" एल. गोल्डिंग के अनुसार "स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों द्वारा उनके मामलों का स्वयं प्रबन्ध करता है।"

भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं को प्राचीनकाल से ही महत्व प्राप्त था एवं इन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था। ऋग्वेद तथा आयुर्वेद में सभा, समिति एवं विदथ जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि विदथ सम्भवतः जनसभा थी जिसमें सभी वयस्क स्त्री-पुरूष समान रूप से भाग लेते थे। यह धार्मिक एवं युद्ध सम्बन्धी कार्य विशेष रूप से करती थी। सम्भवतः इसकी बैठकें आयोजित होती थीं तथा इसके

सवस्य परस्पर वाद-विवाद के बाद किसी निकार्ग पर पहुंचते थे। यह विद्यं संस्था स्थानीय स्वायत शासन का प्रतिनिधित्व करती थी। वैदिक युग में राज्य सरकार अधिक विशाल नहीं होते थे तथा उनकी राजधानी क आकार भी छोटा होता था। प्रत्येक गांव में जनता की समा होती थी। और राजधानी के सम्पूर्ण राज्य की एक केन्द्रीय लोकसमा होती थी जिसे 'समिति' कहा जाता था। राजा स्वामी होते हुए भी निरंकुश नहीं था। समा एक समिति नामक संस्थाएं उस पर नियन्त्रण रखती थी। वैदिक युग में सभा एवं समिति को जो स्वरूप था वह पर्णतः समाप्त नहीं हुआ था अपितु उसका स्थान पूर तथा जनपद ने ले लिया। रामायण के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उस समय प्रशासन पुर तथ जनपद दो भागा में विभक्त था। गांवों की गणना जनपद में की जाती औ तथा वहां के निवासी जनपदा कहलाते थे।

वाल्मीकि रामायण में पौर तथा जनपदा समावा की सत्ता का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब कौशल जनपद के राजा दशरथ ने प्राचीन भारतीय राजाओं की परम्परा का अनुसरण कर राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा तो उन्होंने पौर-जनपट की सम्मति ली। डॉ. के. पी. जायसवाल के अनुसार रामायण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनपदों के पौरा तथा दूसरे अन्य लोगों के साथ मिलकर युवराज राम के राज्याभिषेक का सर्वसम्मति से निर्णय लिया था। अपने मत के समर्थन में जायसवाल ने अयोध्याकाण्ड का वह श्लोक उद्युत किया है जिसमें महाराज दशरथ के सामने यह निवेदन करने के लिये कहा गया है कि पौर तथा जनपद करबद्ध होकर राम के राज्यामिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्राम-महाग्राम व घोष का उल्लेख भी रामायण में मिलता है। ग्राम के निकट के नगर पट्टन कहलाते थे जो जनपदों के लिये मंडी का कार्य करते थे। महाभारत में शांतिपर्व के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी उसके ऊपर क्रमशः दस् बीस, शत तथा सहन ग्राम समूहों की इकाईयां थी। ग्राम शासन का प्रमुख अधिकारी 'ग्रामिक' कहलाता था। अपने ग्राम तथा उसके निवासियों की स्थिति विशेषतः कठिनाइयों की सूचना वह अपने श्रेष्ठ दस ग्राम अधिकारियों (दशप) को देता था। इसी प्रकार दशत विंशत्याधिप को तथा विंषत्याधिप शत ग्रामपाल को और शतग्रामपाल, शतग्रामाध्यक्ष सहन ग्रामपति को अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं देते थे और उनके आदेशानुसार शासन करते थे। ये अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानीय कर संग्रहित करते थे तथा अपने क्षेत्र की रखा के दायित्व का भी निर्वहन करते थे। ग्रामों के अतिरिक्त राज्य में कुछ बड़े तथा छोटे नगर भी थे। नगरों का शासनाधिकारी 'स्वार्थचिंतक' कहलाता था। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का स्वयं तथा गुप्तचरों द्वारा निरीक्षण करता था। उनके अन्याय से प्रजा की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। ये सभी प्रादेशिक अधिकारी एवं सचिव के निर्देशन में कार्य करते थे। आदिपर्व में ग्राम मुख्य का उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः ग्रामीण जनता का प्रतिनिधि होता था। सभापर्व में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि पंचों की

VOL-8* ISSUE-1* September- 2020 k Vaicharik Patrika

द-विवाद के बाद किसी निष्कर्ष पर द्व संस्था स्थानीय स्वायस शासन का थी। वैदिक युग में राज्य सरकार में होता था। प्रत्येक गांव में जनता की होता था। प्रत्येक गांव में जनता की और राजधानी के सम्पूर्ण राज्य की एक होती थी जिसे समिति कहा जाता था। हुए मी निरंकुश नहीं था। सभा एवं स्थारं उस पर नियन्त्रण रखती थी। गा एवं समिति को जो स्वरूप था वह हं हुआ था अपितु उसका स्थान 'पुर वे लिया। रामायण के अध्ययन से स्पष्ट ममय प्रशासन पुर तथ जनपद दो भागों वो की गणना जनपद में की जाती थी

नी जनपदा कहलाते थे।

रामायण में पौर तथा जनपदा सभाओं नेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण के ल जनपद के राजा दशरथ ने प्राचीन की परम्परा का अनुसरण कर राम को व बनाना चाहा तो उन्होंने पौर-जनपद डॉ. के. पी. जायसवाल के अनुसार न से जात होता है कि जनपदों के पौरों नोगों के साथ मिलकर युवराज राम के सर्वसम्मति से निर्णय लिया था। अपने जायसवाल ने अयोध्याकाण्ड का वह या है जिसमें महाराज दशरथ के सामने के लिये कहा गया है कि पौर तथा कर राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर प्राम व घोष का उल्लेख भी रामायण में के निकट के नगर पट्टन कहलाते थे ये मंडी का कार्य करते थे। महाभारत में यन से स्पष्ट होता है कि शासन की ई ग्राम थी उसके ऊपर क्रमशः दस, हन ग्राम समूहों की इकाईयां थी। ग्राम अधिकारी 'ग्रामिक' कहलाता था। अपने के निवासियों की स्थिति विशेषतः सूचना वह अपने श्रेष्ठ दस ग्राम प) को देता था। इसी प्रकार दशत विषत्याधिप शत् ग्रामपाल को और गमाध्यक्ष सहन ग्रामपति को अपने-अपने आवश्यक सूचनाएं देते थे और उनके न करते थे। ये अधिकारी अपने अधिकार र संग्रहित करते थे तथा अपने क्षेत्र की का भी निर्वहन करते थे। ग्रामों के कुछ बड़े तथा छोटे नगर भी थे। नगरों 'स्वार्थिचंतक' कहलाता था। वह अपने यों का स्वयं तथा गुप्तचरों द्वारा निरीक्षण अन्याय से प्रजा की रक्षा करना उसका सभी प्रादेशिक अधिकारी एवं सचिव के करते थे। आदिपर्व में ग्राम मुख्य का है जो सम्भवतः ग्रामीण जनता का । सभापर्व में ग्राम पंचायतों का उल्लेख यह स्पष्ट नहीं होता कि पंचों की

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

हारा की जाती थी या ये जनता द्वारा श्री राजा द्वारा की जाती थी या ये जनता द्वारा श्री राजी थे। इसी प्रकार निगम एवं उसके प्रधान का श्री राजी।

पाता। मतु द्वारा रचित मनुस्मृति में स्थानीय स्वायत्त ले हो पाती। भु व स्थानाय स्वायत्त के व्यवस्थित स्वरूप पर बल दिया गया है तो कर्तन के शक्तियों एवं कार्यों के विकेन्द्रीकरण के महत्व का राज्य मनु ने लिखा है कि राज्य में शक्तियों रेपट करते हुए मनु ने लिखा है कि राज्य में शक्तियों े विक्रियो होना चाहिये तथा प्रजा में स्वशासन की विकासीया हिये। मनु ने इस हेतु राजा को एक पृथक कि होनी चाहिये। मनु ने इस हेतु राजा को एक पृथक को नियुक्त कर उत्तरदायित्व सौंपने का परामर्श श्री की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' को माना गया वा उसके ऊपर क्रमशः दस, बीस, शत तथा शहरी ग्राम वा अप शहरा ग्राम की इकाइयों के संगठन का उल्लेख है। प्रत्येक क प्रशासन के लिये उत्तरदायी अधिकारी के लिये मि ने रक्षक शब्द का प्रयोग किया है। रक्षक का कार्य ला से कर एकत्रित करना तथा ग्राम में शान्ति एवं वनाये रखना था। प्रत्येक ग्राम संगठन का रक्षक अवत्या ग्राम समूह के संगठन के रक्षक के प्रति हत्त्वयी था। इस प्रकार मनु ने न केवल स्थानीय वातन संगठन के स्वरूप का व्यवस्थित रूप से उल्लेख क्या है अपितु प्रत्येक इकाई का दूसरी इकाई से सम्बन्धों न स्प्रिट निर्धारण भी किया है। स्थानीय शासन में 'ग्राम' न अर्थ केवल गाँव नहीं था, सम्भवतः वह नगर का भी व्या। मनुस्मृति से ज्ञात होता है कि ग्राम की ब्रिया 'ग्रामणी', 'ग्रामिक', 'ग्रामाधिपति' होता था।

महर्षि गौतम ने स्थानीय संगठनों की विधायिका वित राज्य शक्ति में ही निहित मानी तथा उन्होंने श्वानीय संगठनों को धर्म विरुद्ध नियम निर्माण का अधिकार नहीं दिया किन्तु मनु का विचार था कि राजा ह्यानीय संगठनों के संविधान की समीक्षा करके अपने धर्म 🗊 प्रतिपादन करें। बृहस्पति व नारद ने भी स्थानीय मंग्डनों का उल्लेख किया है तथा प्रतिपादित किया है कि राजा इन संगठनों के विधान का संरक्षण करे। विशष्ठ गज्य द्वारा स्थानीय संगठनों पर प्रशासकीय नियंत्रण को बीकृत करते हैं। मन् का विचार था कि यदि स्थानीय संगठन अपने नियमों तथा सदस्यों द्वारा किये गये मझौतों का पालन नहीं करते हैं तो राज्य शक्ति द्वारा ला करने के लिये उन्हें बाध्य कर सकता है। स्मृतियों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजा स्थानीय संगठनों के वियमों को निगम एवं उसके प्रधान का भी उल्लेख मिलता किनु उनके गठन की विधि स्पष्ट नहीं हो पाती। ग्राम 🎙 स्थानीय शासन स्वतः संचालित था। कर आक्रमण, बा आदि बातों के अतिरिक्त केन्द्रीय शासन किसी प्रकार ह्म हस्तक्षेप नहीं करता था, केवल एक सामान्य नियन्त्रण भित्र था। केन्द्रीय राज्यों ने ग्राम संस्थाओं को बहुत से क्षिकार दे दिये थे। जिस प्रकार पूरे ग्राम की एक मान्य व्यवस्था थी उसी प्रकार श्रेणी, गण एवं नैगम के र्ण्य संचालन के लिये बहुत से नियम व परम्परायें थी। े नारद एवं बृहस्पति ने इस सम्बन्ध में व्यवहारिक की है। कौटिल्य ने ऐसी स्थानीय संस्थाओं का िलेख किया है जो प्रायः राजा को हस्तक्षेप से मुक्त ि थी। "अर्थशास्त्र" में प्रतिपादित किया है कि राजा को ऐसे गाँव की रचना करनी चाहिए जिसमें कम से कम 100 परिवार तथा अधिक से अधिक 500 परिवार रहते हो। कौटिल्य ने राजा को सुझाव दिया कि गाँवों की संगठन व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि प्रत्येक 800 गाँवों के केन्द्र में एक स्थानीय, 400 गाँवों के केन्द्र में एक द्रोणमुख, 220 गाँवों के केन्द्र में कार्वटिक तथा दस गाँवों के समूह के केन्द्र में संग्रहण हो। कौटिल्य ने नगर के लिये पुर शब्द का प्रयोग किया है तथा पुर के प्रधान के लिये "नागरिक" शब्द का प्रयोग किया है। नागरिक को कौटिल्य ने नगर की सम्पूर्ण कानून एवं व्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायित्व साँपा। कौटिल्य ने नगर को कई भागों में विभक्त किया तथा नगर के प्रत्येक एक चौथाई भाग को "स्थानिक" नाम के अधिकारी के अधीन रखा। प्रत्येक दस, बीस, चालीस परिवारों पर एक गोप की नियुक्ति की व्यवस्था की जिसका कार्य इन परिवारों स्त्री-पुरूषों की जाति, गौत्र, नाम तथा व्यवसाय की जानकारी रखने के साथ ही उनके आय तथा व्यय की जानकारी भी रखता था।

कोटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन की व्यवस्था

ग्रामीण	स्थानीय	द्रोणमुख	कार्बटिक	संग्रहण	गाँव
	800 गाँव	400 गाँव	200 गाँव	10 गाँव	100 से 500 परिवार

शहरी	पुर	नागरिक	स्थानीय	गोप
	(नगर)	(प्रत्येक नगर पर)	(नगर का चौथाई भाग)	(कुछ परिवारो पर)

मौर्यकाल में ग्राम शासन की सबसे छोटी ईकाइ थी तथा ग्राम की जनता स्वयं अपने मुखिया का चुनाव करती थी जिसे ग्रामिक कहा जाता था। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शासन शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया था। मेगस्थनीज ने उस समय के पाटलिपुत्र नगर के शासन के वर्णन में लिखा है कि नगर का कार्यभार पाँच-पाँच सदस्यों वाली छः समितियों में विभक्त था। इन समितियों में विभक्त था। इन समितियों का कार्य उचित बाट एवं माप, व्यापार तथा वाणिज्य का निरीक्षण, जन्म एवं मृत्यु के अभिलेख रखना, विदेशियों का स्वागत-सत्कार तथा बिक्रीकर की वसूली आदि था। के पी. जायसवाल का मत है कि पाटलिपुत्र की यह नगरपालिका सरकार वास्तव में हिन्दू सरकार की 'पौर' संस्था थी। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में दक्षिण भारत में सातवाहन, शासनकाल में नगरों एवं ग्रामों में स्थानीय राजनीतिक संस्थाएँ भी विद्यमान थी। चोलवंश के शासन काल में भी दक्षिण भारत में ग्राम परिषदें स्वायत संस्थाओं के रूप में अस्तित्व में थी। पश्चिमोत्तर भारत के क्षाण एवं अवन्ति के महाक्षपत्रों तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में भ्रद्रगण से लेकर खरपालिका गण तक अनेक छोटे-छोटे गणराज्य विद्यमान थे। गुप्तकाल में भी राजतंत्र में अनेक गणतंत्र विद्यमान थे जो अपने आन्तरिक मामलों में काफी सीमा तक स्वतंत्र थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया "ग्रामिक" कहलाता था।



जोकारूपी करने से पहले जोश क्षेत्रप के सबस मे असमिक इस का होग आवायक है यह पूर्व हार इसील में असामात है कि इसी है असाम या इस जीनम कर ने यह निरिवार कर सकते हैं कि इससे जिस डोब कर का बुनार किया है यह बोध कार के छिए त्रमुख्य है य नहीं। पूर्व ज्ञान के आवार पर हम अपने कोंच कर के तमते ने होने वाली समाचित एवं पदावहरातेक कारेमाइयाँ का समाधान कर सकते हैं।

माना में स्थानीय जातन के बारे में स्थान क्रमान हुए हैं। इन सभी की समीधा करना अपने जोब- यह को अनावस्थक बढाना हो होगा। इवसकेंग् इनमें से कुछ साहित्य की समीक्षा इस ग्रकार है-

में अर पे. जेवी त्य सं. अस्या मायाव इस लिखेल पुलक भागत ने रामीण एक शहरी स्थानीय जालन में त्यानीय जालन के विवेध यथी यथा इसके ज्यां एवं महत्व ते लेकर विकास के विकेशन करणों को रेखांकित करते हुए एवर्ष व त्यारे संविधान संबोधन के परिकेच में स्थानीय शासन की इकाइयों की स्वीम संस्था व उनके क्रियकलायों यह विस्तार से दृष्टियात किया गया है।

स्थानीय स्वशासन (६१४-६४-५४६१-१५४८) नामक एकाक जो डॉ. रहिम शर्मा की लिखी हुई है, इसमें मक्त में त्यानीय त्यशासन के विकास को किलाए से बत्तया नया है।

राज ने स्वीन आयान (अष-३)-३१३६-४११-४) लेखक दुरा प्रो. आर. पी. जोशी एवं क्या संगतानी की युक्तक में भी प्राचीसकाल में

मानीय स्थापन कारण स्थापन प्रमान ने स्थानीय स्थापन अस्त - पंचामी एक संस्थाओं का चेकत आहे विकास्त्रक बताय गया है

रण आर महोत्रको द्वारा चित्रका पुस्तक पान के स्थानीय जातान (2000) यह दुसरक स्थानीय जातान है बारे के वाले जानकारों देती हैं। स्था नागत के त्यानीक आवन का प्रतिकार स्वामानिक संबा मार्गेट शक्त प्राचारि

मेक्टर

ग्राहीम बाग्रह के ग्राम समार्थी के गास विशाव शक्तिया औं इन्हें प्रशासनिक एवं न्यायिक योगी प्रकार क अधिकार प्राप्त के। शहराते वर कर लगाना तथा क्रो क्रिल्य का कार्य भी रावायतों के डोजाधिकार में बा स्मेशकाद कार्यकार के असुसार ग्राम समाएँ गांद की बके की पूर्णात स्वामिनी होती थी। दे ही गांव की ओर के क्रकार को राजार देने हेट् उत्सदायों होती औ यदि क्रेस भूक्षण्ड स्थामी कर नहीं बुका याता तो यह भूगेखण्ड ग्राह सभा का हो जाता था।

संदर्भ ग्रम्थ समी

- ५ भारत में रावायती राजा जोशी आर यी
- 2 भारत में संख्याती राज रागोड मिस्स मेर
- 3 पंचायती राज यराखा स्त्रां ही सी
- 4 भारत में ग्रामीण एवं शहरी विकास जोती और
- 5 कोटिल्य के अर्थाशास्त्र का राजमीरिक एवं साम्बाह्य अध्ययमः खादी के बार्या
- क उत्पासनिक विचारक है। वो मेम